उप, एम्स, पटना

राजस्थान आवासन मण्डल

आवश्यक सूचना

राजस्थान आवासन मण्डल की प्रताप नगर योजना जयपुर की सामान्य पंजीकरण योजना मध्यम आय वर्ग (अ) के पंजीकृत आवेदक, सामान्य पंजीकरण योजना उच्च आय वर्ग-2002 के अन्तर्गत शेष आवेदक, सेक्टर-8 में निर्मित आवासों के लिए आवेदक स्ववित्त पोषित योजना 2013 सेक्टर-8 व 22 में मध्यम आय वर्ग (ब) एवं उच्च आय वर्ग के अन्तर्गत पंजीकृत आवेदक, विशिष्ट पंजीकरण योजना 'कृष्णा अपार्टमेन्ट' आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग के प्रतिक्षारत आवेदकों हेतु फ्लैट/आवास आवंटन लॉटरी व सेक्टर-17 में ऑल ईण्डिया सर्विसेज रेजीडेन्सी आवासीय योजना (AIS) के स्ववित्त पोषित योजना वर्ष 2020 के आवेदकों की वरीयता निर्धारण लॉटरी दिनांक 10.03.2021 को प्रातः 11.00 बजे ''वेब बेस्ड प्रणाली'' द्वारा कार्यालय उप आवासन आयुक्त, वृत्त-प्रथम, सेक्टर-05, प्रताप नगर, सांगानेर, जयपुर में आयोजित की जानी है। उक्त आवंटन लॉटरी का कार्यक्रम निम्नानुसार प्रस्तावित है :-

क्र.सं.	कार्यक्रम का विवरण	दिनांक व समय
1	लॉटरी हेतु योग्य/अयोग्य आवेदकों की अस्थाई सूची का प्रकाशन	25.02.2021 (सायं 5:00 बजे)
2	आक्षेप प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि	04.03.2021 (सायं 6:00 बजे तक)
3	योग्य आवेदकों की स्थाई सूची का प्रकाशन	09.03.2021 (सायं 5:00 बजे)
4	फ्लेट्स/आवास आवंटन लॉटरी	10.03.2021 (प्रातः 11:00 बजे से)
5	सम्बंधित कार्यालय	उप आवासन आयुक्त, वृत-प्रथम, सेक्टर-5, प्रताप नगर, सांगानेर , जयपुर

नोट :- (1) यदि कोई आवेदक वांछित सूचना कार्यालय में नही देने के कारण प्रस्तावित लॉटरी से वंछित रहता है तो इसके लिए वह स्वयं उत्तरदायी होगा। (2) लॉटरी कार्यक्रम की अवधि में भुगतान पद्धति परिवर्तन के आवेदन स्वीकार नही किये जायेंगे। (3) पंजीकृत आवेदकों को दिनांक 04.03.2021 तक पूर्व ग्रहण/आरक्षण पत्रानुसार राशि जमा कराकर चालान की प्रति प्रस्तुत करने के उपरान्त ही लॉटरी में शामिल किये जायेंगे। (4) मध्यम आय वर्ग-अ के पंजीकृत आवेदक जिनके द्वारा सेक्टर-8 व 22 स्ववित्त पोषित योजना मध्यम आय वर्ग-अ एवं मध्यम आय वर्ग-ब में आवेदन किया है, जिन्हें सामान्य पंजीकरण योजना मध्यम आय वर्ग-अ में आवास आवंटन हेतु सहमति चाही गई है, उनकी सहमति दिनांक 04.03.2021 तक प्राप्त होने पर श्रेणी/वरियतानुसार सम्मलित किया जावेगा। (5) फ्लेट्स आवंटन लॉटरी में पति/पत्नी एवं परिवार के आश्रित अन्य आवेदक के नाम जयपुर स्थित मण्डल अथवा जयपुर विकास प्राधिकरण/नगर निगम आदि में कोई भूखण्ड/आवास का पंजीकरण/आवंटन पाये जाने पर आवेदक पंजीकरण/आवंटन सदैव निरस्त किये जाने एवं सम्पूर्ण पंजीकरण राशि जब्त किये जाने योग्य होगी। जिसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक स्वयं की होगी। (6) आवंटन हेतु उपलब्ध आवासों के अनुसार योग्य आवेदकों को वरीयता एवं श्रेणीवार निर्धारित कोटे के अनुसार आवास आवंटन हेतु स्थायी सूची ही मान्य होगी। (7) आवास/फ्लेट्स आवंटन लॉटरी एवं वरीयता निर्धारण लॉटरी हेतु योग्य/अयोग्य आवेदकों की सम्पूर्ण सूची मण्डल की वेबसाईट www.urban.rajasthan.gov.in/rhb पर तथा अयोग्य आवेदकों की अस्थाई/स्थाई सूची निर्धारित कार्यक्रमानुसार वृत-प्रथम कार्यालय के नोटिस पर उपलब्ध रहेगीं।

Samwad/C/10074/2020-21

उप आवासन आयुक्त, वृत्त-प्रथम, जयपुर